सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

BIHAR EDUCATION PROJECT, BHAGALPUR
Sarva Shiksha Abhiyan

Letter No.BEP/BGP/ D.P.O/1313/ Dt..20/06/20

प्रेषक :– नसीम अहमद,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, भागलपुर
सह–सदस्य सचिव, निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति।

सेवा में,
प्राचार्य / संचालक,
संत पॉल एकेडमी, साहेब कोठी, दरियापुर, भागलपुर।

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र एवं दिनांक 14.06.20 को सम्पन्न हुए प्रस्वीकृति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार एवं आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा के बाद आपके विद्यालय संत पॉल एकेडमी, साहेब कोठी, दरियापुर, भागलपुर को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु अगले तीन वर्षों के लिये चालू सत्र से औपबंधिक रूप से प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:–

1. आपके विद्यालय को प्रदान की जाने वाली ये आदेश निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त दिया गया है। प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा। विद्यालय द्वारा कंडिका (03) में अंकित शर्तों के अधीन न्यूनतम वर्ग में चालू शैक्षणिक सत्र में कुल नामांकन क्षमता के 25 प्रतिशत बच्चों का नियमानुसार नामांकन लेना अपेक्षित होगा।
4. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
5. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
6. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएँगे:–
   - किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्च को RTE Act के नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   - शिक्षकों के नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक ,जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें।
   - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
7. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण यथास्थिति करने की अपेक्षा की जा सकती ... गुरूप शिक्षकों / शिक्षिकाओं की अहर्त्ता तीन वर्ष के अंदर पूरा कर लेंगें।
... प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन

Digitally signed by BASIL MICHAEL QUADROS
Date: 2021.10.30 20:01 +05:30
Reason: reason
Location: location

... य परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

10. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा। विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदंडों को बरकरार रखने तथा निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी।
11. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

S... /5361 / New Letter Pad-2015-16/ 125

Principal
ST. PAUL'S ACADEMY
Dariyapur, Sajour Road
Sahebkothi, Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)
BIHAR-812006

Manager
ST. PAUL'S ACADEMY
Dariyapur Sajour Road
Nathnagar, Bhagalpur
BIHAR-812006

BIHAR EDUCATION PROJECT, BHAGALPUR

Sarva Shiksha Abhiyan

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Letter No.BEP/BGP/ DPO/1313....../ Dt....20/06/20

12. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
13. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **BEP/BGP/070** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए। DISE Code आपके विद्यालय हेतु आवंटित किये गये है।
15. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों को लगातार पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
16. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय परिसर में अग्निशमन यंत्र एवं निःशक्तों के लिए हैंड रेल के साथ रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय। RTE Act के प्रावधानों के तहत नामांकन के अनुपात में वि0 को एक वर्ष के अन्दर सभी मौसमनुकूल भवन व अन्य उपयुक्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
18. विद्यालय प्रबंधन को निजी वियालयो के परिचालन के लिये समय–समय पारित विभागीय आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा उपरोक्त कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराकर एक माह में सचिव द्वारा अंतिम कंडिका में वर्णित बिन्दु का शपथ पत्र समर्पित करने के पश्चात ही प्रस्वीकृति आदेश का नवीकरण/स्थायित्व प्रदान किया जाना संभव होगा साथ ही सूचनाए अथवा आदेश समाचार पत्रों अथवा विज्ञप्तियों के माध्यम से भी विद्यालयों को प्राप्त होगा जिसका संज्ञान लेना आवश्यक होगा।
19. विद्यालय प्रबंधन की एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि वे भविष्य में शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुपालन में अपनी असहमति व्यक्त नहीं करेगें तथा RTE Act 2009 के विनिर्दिष्ट उपबन्धों के नियमों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध है। यह प्रस्वीकृति प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से शपथ पत्र समर्पित करने के पश्चात ही मान्य व प्रभावी होगा।
20. जिन निजी विद्यालयों का जमीन लीज पर हैं, एक वर्ष के अदर लीज पर ली गई भूमि का विधिवत निबंधन करा कर कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें दतोपरान्त अविधि विस्तार पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्त कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराकरं अगले एक माह के अन्दर सचिव के द्वारा बिन्दुवार सहमति प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित किया जाना आवश्यक होगा।

विश्वासभाजन

19.6

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
सह–सदस्य सचिव, निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति
भागलपुर।

Principal
ST. PAUL'S ACADEMY
Dariyapur, Sajour Road
Nathnagar, Bhagalpur
BIHAR-812006

Manager
ST. PAUL'S ACADEMY
Dariyapur, Sajour Road
Nathnagar, Bhagalpur
BIHAR-812006

Source : Sys1 / New Letter Pad-2015-16/ 126

DIET Bhawan, Khirnighat, Khanjarpur, Bhagalpur – 812 001 (BIHAR),
☎ : 0641-2429227, 2408630 , Fax No. : 2429227